

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

क्रमांक/ 947 /1017/2018/ई/चार:- राज्य शासन, एतद् द्वारा श्री आर.के.सोनी, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंदौर एवं श्री आर.के.झंवर, उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम, इंदौर को समाचार पत्र में इन अधिकारियों के संबंध में प्रकाशित स्टिंग आपरेशन समाचार की निष्पक्ष जांच के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रकोष्ठ-भोपाल में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री आर.के.सोनी, संयुक्त संचालक, को क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंदौर के प्रभार एवं दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए श्री दीपक परिहार, प्रभारी संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

3/ इसी अनुक्रम में श्री आर.के.झंवर, उप संचालक, को आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम, इंदौर के प्रभार एवं दायित्वों तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के अतिरिक्त प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए श्री अरूण शुक्ला, उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा, विकास प्राधिकरण, इंदौर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उपरोक्त दोनों कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(विजय कदाने) 11/4/18  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 11/04/2018

पृ.क्रमांक/948 /1017/2018/ई/चार,  
प्रतिलिपि:

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
  02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
  03. प्रमुख सचिव वित्त, के निज सहायक,
  04. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, **प्रकोष्ठ भोपाल**
  05. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
  06. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, उज्जैन, इंदौर,
  07. आयुक्त, नगर निगम, इंदौर,
  08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण, इंदौर,
  09. कोषालय अधिकारी, उज्जैन, इंदौर,
  10. संबंधित अधिकारी श्री.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग